न्यायालय द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 02/2024 (GCMS/2024/20)
पंजीयन दिनांक - 05/04/2023
आदेश दिनांक - 18/03/2024

श्री निर्भरसिंह राणावत, निवासी बरोडिया, खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर।	बनाम	प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, उदयपुर

द्वितीय अपील अंतर्गत राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 विरूद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर ।

निर्णय

दिनांक 18/03/2024

- श्री निर्भयसिंह राणावत, निवासी बरोडिया, खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपील दिनांक 20.02.2024 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जो इस न्यायालय को 26.02.2024 को प्राप्त होकर दिनांक 01.03.2024 को दर्ज की गई। अपीलार्थी अनुसार प्रथम अपील अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए एक तरफा कार्यवाही करने के कथनों से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

- संभागीय आयुक्त कार्यालय, उदयपुर के पत्रांक 1055 दिनांक 01.03.2024 से श्री निर्भयसिंह राणावत द्वारा प्रस्तुत अपील की प्रति प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर, उदयपुर) को भिजवाते हुए अपील पर जवाब मय अभिलेख चाहा गया।

- अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.03.2024 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचार किया गया।

- अपील पर प्रथम अपील अधिकारी के जवाब, प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित किया गया कि दिनांक 27.12.2023 को प्रथम अपील अधिकारी को कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत अपील प्रस्तुत की गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त किया गया।

- अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में दिये गये दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये पत्रांक सतर्कता/मूल/2024/37 दिनांक 31.01.2024 से राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012 के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त पत्र के साथ पारित निर्णय की प्रति संलग्न नहीं होने अथवा पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी को लिखा गया था, परंतु अपीलार्थी द्वारा आदिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय को उक्त वर्णित निर्णय की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई है। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रतित होता हो कि अपील में निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हो। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में दस्तावेजों के अभाव में राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012 के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। ऐसे में प्रथम अपील में निर्णय के अभाव में प्रथम अपीलीय अधिकारी का अपील/परिवाद निस्तारित किया जाना संभव नहीं है। ऐसे में यह अपील औचित्यपूर्ण नही है।

- उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अपीलार्थी अपने आवेदन/परिवाद के संबंध में सक्षम अधिकारियों के समक्ष पुनः आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर